

हवाईअड्डों एवं वायु दिक्चालन सेवाओं के लिए प्रभार

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के शुल्क संरचना संबंधी संक्षिप्त नोट

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) द्वारा लगाए जाने वाले प्रभार दो विस्तृत शीर्ष के अंतर्गत हैं अर्थात् वायु दिक्चालन सेवाएं (ए एन एस) तथा हवाईअड्डा सेवाएं। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियमक प्राधिकरण (एरा) की स्थापना के बाद भा.वि.प्रा. के अधीनस्थ हवाईअड्डों का प्रमुख हवाईअड्डों तथा गैर प्रमुख हवाईअड्डों के रूप में वर्गीकरण किया गया है। प्रमुख हवाईअड्डों पर वैमानिक सेवाओं के लिए शुल्क का निर्धारण एवं विनियमन एरा द्वारा किया जाता है तथा अन्य दूसरे सभी हवाईअड्डों के लिए नागर विमानन मंत्रालय विनियमक के रूप में भी कार्य करता है।

वर्तमान में भा.वि.प्रा. के अधीन प्रमुख हवाईअड्डे निम्नलिखित हैं :-

(i)	चेन्नई
(ii)	कोलकाता
(iii)	त्रिवेन्द्रम
(iv)	अहमदाबाद
(v)	कालीकट
(vi)	जयपुर
(vii)	लखनऊ
(viii)	गुवाहाटी
(ix)	गोवा (सिविल एन्क्लेव-अंतरराष्ट्रीय)
(x)	श्रीनगर (सिविल एन्क्लेव-अंतरराष्ट्रीय)
(xi)	पुणे (सिविल एन्क्लेव-कस्टम हवाईअड्डा)

प्रमुख हवाईअड्डों पर वैमानिकी सेवाओं (ए एन एस के अलावा) की शुल्क संरचना हवाईअड्डा विशेष के अनुसार है। प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16) से संबंधित वैमानिकी सेवाओं (विमानपत्तन सेवाएं) के लिए चेन्नई, कोलकाता एवं गुवाहाटी हवाईअड्डों से संबंधित शुल्क एरा द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं। दूसरे प्रमुख हवाईअड्डों के संबंध में पहले से विद्यमान शुल्क ही जारी रखा जा रहा है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :-

(i)	त्रिवेन्द्रम	अन्तरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर लागू दरें।
(ii)	अहमदाबाद	अन्तर्देशीय हवाईअड्डों पर लागू दरें।
(iii)	कालीकट	
(iv)	जयपुर	
(v)	लखनऊ	
(vi)	गोवा (सिविल एन्क्लेव-अंतरराष्ट्रीय)	
(vii)	श्रीनगर (सिविल एन्क्लेव-अंतरराष्ट्रीय)	सिविल एन्क्लेवों पर भा.वि.प्रा. ए एन एस प्रभार एवं पार्किंग प्रभार लगाता है। आर एन एफ सी दरें सभी हवाईअड्डों के लिए एक ही हैं लेकिन गोवा पर लगाए गए टी एन एल सी प्रभार अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर लागू टी
(viii)	पुणे (सिविल एन्क्लेव-कस्टम हवाईअड्डा)	

		एन एल सी दरों के अनुसार हैं तथा श्रीनगर एवं पुणे के लिए दरें अंतर्देशीय सिविल एन्क्लेवों के अनुसार हैं ।
--	--	--

ऊपर उल्लिखित प्रमुख हवाईअड्डों के लिए वैमानिकी सेवाओं (विमानपत्तन सेवाएं) हेतु शुल्क ऐरा द्वारा जब और जिस रूप में अनुमोदित किया जाएगा, उसी के अनुसार संशोधित किया जाएगा ।

गैर-प्रमुख हवाईअड्डों के संबंध में विमानपत्तन सेवाओं के लिए वर्तमान में विद्यमान दरें जो अंतर्देशीय हवाईअड्डों पर लागू हैं, वे ही जारी रहेंगी हालांकि इनमें से कुछ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे घोषित किए जा चुके हैं ।

अनुक्रम:		
		पेज सं.
खण्ड क:	शुल्क - वायु दिक्चालन सेवाएं	3-4
खण्ड ख:	शुल्क - विमानपत्तन सेवाएं	5-23
	I. प्रमुख हवाईअड्डे	
	II. गैर-प्रमुख हवाईअड्डे	
	III. सिविल एन्क्लेव	
खण्ड ग:	अन्य प्रभार तथा उगाही (लेवी) से छूट एवं डी एफ/यू डी एफ/पी एस एफ की वसूली	24-26
खण्ड घ:	कर	27
खण्ड ड. :	शुल्क वसूलने वाली एजेंसियाँ	28
खण्ड च:	अस्वीकरण	29

खण्ड क

शुल्क - वायु दिक्चालन सेवाएं

1. मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभार (आर एन एफ सी)

क) उतरने वाली उड़ानों के लिए आर एन एफ सी:

आर एन एफ सी	=	रु. (आर X डी X डब्ल्यू)
आर	=	रु. 4620
डी	=	$\sqrt{(\text{जी सी डी}/100) 1200}$ एन एम के रूप में जी सी डी कैप सहित
डब्ल्यू	=	$\sqrt{(\text{ए यू डब्ल्यू}/50000) 2,00,000}$ किलोग्राम ए यू डब्ल्यू कैप सहित

प्रयुक्त संकेताक्षर :

आर	=	सर्विस यूनिट रेट
डी	=	डिस्टेंस फैक्टर
डब्ल्यू	=	वेट फैक्टर
जी सी डी	=	ग्रेट सर्किल डिस्टेंस, एन एम में
ए यू डब्ल्यू	=	ऑल अप वेट ऑफ एयरक्राफ्ट, कि.ग्रा. में

(ख) अति उड़ान के लिए आर एन एफ सी = रु. (आर X डी X डब्ल्यू) + रु. 4400/-

(ग) भारत में पंजीकृत छोटे विमानों के लिए आर एन एफ सी:

अधिकतम ऑल-अप-वेट वाले विमानों के संबंध में मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभार (आर एन एफ सी) :-

(क) 10,000 कि.ग्रा. तक भार सह दूरी (वेट-कम-डिस्टेंस) फार्मूला की लागू दरों के 20% की दर से लगाया जाएगा ।

(ख) 10,000 कि.ग्रा. से अधिक से 20,000 कि.ग्रा. तक भार सह दूरी (वेट-कम-डिस्टेंस) फार्मूला की लागू दरों के 40% की दर से लगाया जाएगा ।

टिप्पणी:

i.	ऊपर उल्लिखित अति उड़ान के लिए आर एन एफ सी केवल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई एफ आई आर पर लागू हैं ।
ii.	प्रभारों की गणना समीपवर्ती एम टी (अर्थात 1000 कि.ग्रा.) के आधार पर की जाएगी ।
iii.	रियायती आर एन एफ सी की वसूलने के लिए ऊपर संकेत की गई धारा I(ग) के अनुसार भारत में पंजीकृत छोटे विमानों में अधिकतम ऑल-अप-वेट 20,000 कि.ग्रा. तक के भारत में पंजीकृत फ्लाईंग क्लबों/ फ्लाईंग प्रशिक्षण विद्यालयों के विमान भी शामिल हैं ।

(II) टर्मिनल दिक्चालन अवतरण प्रभार (टी एन एल सी)

क) गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सिविल एन्क्लेव) सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे

विमान का वजन	प्रत्येक अवतरण/अन्तर्देशीय उड़ानें/ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (राशि रु. में)
10000 कि.ग्रा. से कम	1087.90
10,000 कि.ग्रा. एवं उससे अधिक	6546.10

टिप्पणी:

(i)	ऊपर उल्लिखित टी एन एल सी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, त्रिवेन्द्रम, बंगलुरु (बायल), हैदराबाद (शमशाबाद-एच आई ए एल), गोवा एवं कोचीन हवाईअड्डों पर लागू है ।
(ii)	05 अन्तरराष्ट्रीय हवाईअड्डों अर्थात् कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, त्रिवेन्द्रम पर अंतर्देशीय उड़ानों के लिए टी एन एल सी वर्तमान दरों में 25% की कमी की जाएगी ।
(iii)	छोटे अंतर्देशीय विमानों (एम.टी.ओ.डब्ल्यू 21000 कि.ग्रा. तक) के लिए टी एन एल सी प्रति 1000 कि.ग्रा. के लिए रु. 110 की दर से होगा । (चूंकि छोटे अंतर्देशीय विमानों के लिए टी एन एल सी की दर एक रियायती दर है, इसलिए छोटे अंतर्देशीय विमानों के लिए आगे कोई और रियायत/कमी नहीं) लेकिन छोटे अंतर्देशीय विमानों के लिए जहाँ ऊपर बताया गया रियायती दर सामान्य दर से अधिक है, टी एन एल सी के लिए सामान्य दर लागू होगी ।
(iv)	प्रभारों की गणना निकटतम एम टी (अर्थात् 1000 कि.ग्रा.) के आधार पर की जाएगी ।

ख) सिविल एन्क्लेव (गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के अलावा)

(I) अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

विमान का वजन	(राशि रु. में)
10000 कि.ग्रा. तक	रु. 15.40 प्रति 1000 कि.ग्रा.
10,001 कि.ग्रा. से 20,000 कि.ग्रा.	10,000 कि.ग्रा. से अधिक होने पर रु. 154 जमा रु. 23.10 प्रति 1000 कि.ग्रा. पर
20,001 कि.ग्रा. से 50,000 कि.ग्रा.	20,000 कि.ग्रा. से अधिक होने पर रु. 385 जमा रु. 46.20 प्रति 1000 कि.ग्रा. पर
50,001 कि.ग्रा. से 1,00,000 कि.ग्रा.	50,000 कि.ग्रा. से अधिक होने पर रु. 1771 जमा रु. 55 प्रति 1000 कि.ग्रा. पर
1,00,000 कि.ग्रा. से ज्यादा	1,00,000 कि.ग्रा. से अधिक होने पर रु. 4521 जमा रु. 61.60 प्रति 1000 कि.ग्रा. पर

(II) अंतर्देशीय उड़ानें

विमान का वजन	(राशि रु. में)
10000 कि.ग्रा. तक	रु. 9.90 प्रति 1000 कि.ग्रा.
10,000 कि.ग्रा. से 20,000 कि.ग्रा.	10,000 कि.ग्रा. से अधिक होने पर रु. 99/- जमा रु. 15.40 प्रति 1000 कि.ग्रा. पर

20,000 कि.ग्रा. से अधिक	20,000 कि.ग्रा. से अधिक होने पर रु. 253/- जमा रु. 30.80 प्रति 1000 कि.ग्रा. पर
-------------------------	--

टिप्पणी: प्रभारों की गणना निकटतम एम.टी. (अर्थात 1000 कि.ग्रा.) के आधार पर होगी ।

विशेष प्रावधान (वायु दिक्चालन सेवाएँ)

- 1) श्रेणी-I। फ्लाईंग क्लबों/ फ्लाईंग स्कूलों पर लागू एयररसाइड प्रयोक्ता प्रभार -**
 शैक्षिक संस्थाओं के रूप से पंजीकृत तथा न हानि न लाभ आधार पर प्रचालित फ्लाईंग क्लबों/ फ्लाईंग प्रशिक्षण संगठनों (डी जी सी ए की सूची के अनुसार श्रेणी -I फ्लाईंग क्लब/ फ्लाईंग प्रशिक्षण संस्थान) पर यह सामान्य दरों के 10 प्रतिशत की नाममात्र दर से लगाया जाएगा । हवाईअड्डा प्रभारों के संदर्भ में सामान्य दरों से अभिप्राय बिना किसी छूट या रियायत के पूरी दरों पर प्रभारों से है । इसलिए श्रेणी-I के अंतर्गत आने वाले फ्लाईंग क्लब/ फ्लाईंग प्रशिक्षण संस्थानों से आर एन एफ सी एवं टी एन एल सी के लिए वर्तमान पूर्ण प्रभारों की 10% की दर से प्रभार लिया जाएगा ।
- 2) ऑल-अप-वेट 20,000 कि.ग्रा. तक व उससे कम भार वाले भारत में पंजीकृत छोटे विमानों पर लागू आर एन एफ सी दरें रियायती/ छूट प्राप्त दरें लागू हैं ।** इसलिए फ्लाईंग क्लब/ फ्लाईंग प्रशिक्षण संस्थानों पर लागू 10 प्रतिशत नाममात्र प्रभारों की गणना करते समय इन दरों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- 3) श्रेणी-II। फ्लाईंग क्लबों/ फ्लाईंग विद्यालयों पर लागू एयररसाइड प्रयोक्ता प्रभार -**
 श्रेणी-II फ्लाईंग क्लबों/ फ्लाईंग विद्यालयों के लिए कोई विशिष्ट रियायत नहीं है । लेकिन भारत में पंजीकृत छोटे विमानों को प्राप्त रियायत श्रेणी-II फ्लाईंग क्लबों/ फ्लाईंग स्कूलों पर भी लागू होगी ।

खंड ख: शुल्क - विमानपत्तन सेवाएँ

I. प्रमुख हवाईअड्डे

1. नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोलकाता

(वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए, 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी)

(एरा के दिनांक 23 जनवरी, 2013 के आदेश सं. 35/2012-13 के माध्यम से यथा अनुमोदित)

1. अवतरण (लैंडिंग), पार्किंग एवं हाउसिंग प्रभार

1.1 अवतरण प्रभार प्रति एकल अवतरण

विमान का वजन	प्रति अवतरण दर- अंतरराष्ट्रीय उड़ान	प्रति अवतरण दर- (अंतरराष्ट्रीय उड़ान से अलग दूसरी)
100 एम टी तक	रु. 613.60 प्रति एम टी	रु. 312.50 प्रति एम टी
100 एम टी से ज्यादा	100 एम टी से अधिक होने पर रु. 61360 /- + रु. 824.50 प्रति एम टी	100 एम टी से अधिक होने पर रु. 31250/- + रु. 419.90 प्रति एम टी

टिप्पणी:

क) प्रभारों की गणना विमान के निकटतम मीट्रिक टन (एम.टी) अर्थात 1000 कि.ग्रा. के आधार पर की जाएगी ।

- ख) सुपरसोनिक विमान के लिए अवतरण प्रभार पर 25% का सरचार्ज लगाया जाएगा ।
- ग) सभी प्रकार के विमान/ हेलीकॉप्टर उड़ानों के लिए प्रति एकल उड़ान हेतु रू. 5000 का न्यूनतम शुल्क लगाया जाएगा । इसमें अन्तर्देशीय अवतरण, अंतरराष्ट्रीय अवतरण एवं सामान्य विमानन अवतरण शामिल हैं पर यहीं तक सीमित नहीं है लेकिन यह फ्लाइटिंग क्लवों द्वारा प्रचालित प्रशिक्षण उड़ानों पर लागू नहीं होगा ।
- घ) विमान का वजन अर्थात् अधिकतम टेक ऑफ वजन (एम टी ओ डब्ल्यू) जैसा कि नागर विमानन महानिदेशालय/ डी जी सी ए के साथ नत्थी उड़नयोग्यता प्रमाण पत्र में दर्शाया गया है ।
- ड) जहाँ तक एयरसाइड हवाईअड्डा प्रयोक्ता प्रभारों का संबंध है, भारतीय प्रचालकों द्वारा उड़ान के लिए प्रयुक्त अंतरराष्ट्रीय मार्गों के सभी अन्तर्देशीय लेगों को ऐसी उड़ानों को दिए गए उड़ान संख्या पर ध्यान दिए बिना अन्तर्देशीय उड़ानें माना जाएगा ।

1.2 हाउसिंग एवं पार्किंग प्रभार

विमान का वजन	पार्किंग प्रभार दर प्रति एम टी प्रति घंटा	हाउसिंग प्रभार दर प्रति एम टी प्रति घंटा
100 एम टी तक	रू. 8.50 प्रति एम टी	रू. 16.60 प्रति एम टी
100 एम टी से अधिक	100 एम टी से अधिक होने पर रू. 850/- + रू. 11.10 प्रति एम टी, प्रति घंटा	100 एम टी से अधिक होने पर रू. 1660/- + रू. 22.30 प्रति एम टी प्रति घंटा

टिप्पणी:

क) पहले दो घंटों के लिए कोई पार्किंग प्रभार नहीं लगाया जाएगा । शुल्क मुक्त पार्किंग अवधि की गणना करते समय टच डाउन समय तथा पार्किंग स्टैंड पर वास्तविक पार्किंग समय के बीच लगने वाले समय की वजह से इसमें 15 मिनट का मानक समय जोड़ा जाएगा । विमान के पार्किंग स्टैंड से टेक ऑफ बिन्दु तक के टैक्सींग समय की वजह से 15 मिनट का एक और मानक समय भी इसमें जोड़ा जाएगा । यह अवधियों प्रत्येक विमान पर लागू होंगी, चाहे अवतरण के बाद और टेक-ऑफ से पूर्व विमान के संचलन में जो भी वास्तविक समय लगा हो ।

ख) प्रभार- योग्य पार्किंग समय की गणना के लिए किसी एक घंटे का कोई भी अंश अगले घंटे के लिए राउन्डेड ऑफ किया जाएगा ।

ग) प्रभारों की गणना अगले एम टी के आधार पर की जाएगी ।

घ) प्रत्येक पीरियड पार्किंग के लिए प्रभारों को निकटतम रूप तक राउन्डेड ऑफ किया जाएगा।

ड) कॉटैक्ट (contact) स्टैण्ड में निःशुल्क पार्किंग के बाद अगले दो घंटों के लिए सामान्य पार्किंग प्रभार लगाए जाएंगे । इस अवधि के बाद हाउसिंग प्रभार लगाए जाएंगे ।

2. प्रयोक्ता विकास शुल्क (यू डी एफ)

विमान से यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री के लिए प्रयोक्ता विकास शुल्क निम्नलिखित अनुसार देय होगा :

दर प्रति इम्बार्किंग यात्री	अंतरराष्ट्रीय	अन्तर्देशीय
प्रति इम्बार्किंग यात्री	रू. 1060/-	रू. 424/-

टिप्पणी:-

क) विदेशी मुद्रा में टिकटों के जारी किए जाने पर यू डी एफ यू.एस. डॉलर में लगाया जाएगा ।

ख) वसूली प्रभार: यदि भुगतान इनवॉयस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर किया गया हो, तो भाविप्रा द्वारा प्रस्थान करने वाले प्रत्येक यात्री के लिए भारत के 5 रू. की दर से वसूली प्रभार का भुगतान किया जाएगा । यदि एयरलाइन 15 दिनों की क्रेडिट अवधि के अंदर यू डी एफ इनवॉयस भाविप्रा को भुगतान नहीं कर पाती है तो अथवा किसी आंशिक भुगतान की स्थिति में वसूली प्रभार का भुगतान नहीं किया जाएगा । इस वसूली प्रभार पर दावा करने के लिए योग्य होने हेतु एयरलाइनों का भाविप्रा के साथ किसी भी एकाउंट पर अतिदेय (ओवरड्यू) नहीं होना चाहिए ।

ग) ट्रांजिट/स्थानांतरण यात्री: किसी यात्री को ट्रांजिट/स्थानांतरण में होना केवल तभी माना जाता है यदि आगे की यात्रा हवाईअड्डे पर आगमन के समय से 24 घंटे के भीतर हो तथा आगे की यात्रा उसी टिकट का भाग हो । यदि दो अलग-अलग टिकट जारी किए गए हैं (एक जाने के लिए और एक आने के लिए) तो उस यात्री को वापिसी यात्रा वाले यात्री में नहीं माना जाता है ।

3. ईंधन थ्रूपट प्रभार

ईंधन थ्रूपट प्रभार निम्नलिखित अनुसार देय होंगे -

प्रति किलोमीटर ईंधन प्रभार
रू. 1408.51

4. यात्री सेवा शुल्क (सुरक्षा)- रू. 130/- प्रस्थान करने वाले प्रति यात्री

क) डॉलर टैरिफ से जारी किए गए टिकटों के संबंध में डॉलर 3.25 (यू एस डॉलर तीन और पच्चीस सेन्ट्स केवल) प्रति यात्री

ख) वसूली प्रभार: यदि बिलों के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाता है तो प्रति यात्री यात्री सेवा शुल्क के 2.5% की दर से वसूली प्रभार देय होगा । यदि प्रचालक क्रेडिट अवधि के अंदर भाविप्रा को यात्री सेवा शुल्क का भुगतान नहीं करता तो और आंशिक भुगतान की स्थिति में वसूली प्रभार का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

ग) कैजुअल प्रचालक/ गैर-अनुसूचित प्रचालकों को किसी वसूली प्रभार का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

घ) स्काई मार्शलों से यात्री सेवा शुल्क का भुगतान करने से एयरलाइनों को छूट ।

ड) यू.एस. डॉलर को भारतीय रूपए में बदलने के लिए पहले पखवाड़े वाली बिलिंग अवधि हेतु महीने की पहली तारीख की दर तथा दूसरे पखवाड़े वाली बिलिंग अवधि के लिए महीने की 16वीं तारीख की दर को अपनाया जाएगा । यदि बिलों के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाता है तो प्रति यात्री यात्री सेवा शुल्क के 2.5% की दर से वसूली प्रभार देय होगा ।

सामान्य शर्त

उपरोक्त सभी प्रभार सेवा कर को छोड़ कर के हैं । विमान प्रचालकों द्वारा उपरोक्त प्रभारों के अतिरिक्त लागू दरों से सेवा कर का भुगतान करना होगा ।

2. चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा

(वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए, 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी)

(दिनांक 1 फरवरी, 2013 के आदेश सं. 38/2012-13 के माध्यम से ऐरा द्वारा यथा अनुमोदित)

2.1. अवतरण (लैंडिंग), पार्किंग एवं हाउसिंग प्रभार

2.1.1 अवतरण प्रभार प्रति एकल अवतरण

विमान का वजन	प्रति अवतरण दर- अंतरराष्ट्रीय उड़ान	प्रति अवतरण दर- (अंतरराष्ट्रीय उड़ान से अलग दूसरी)
100 एम टी तक	रु. 613.60 प्रति एम टी	रु. 312.50 प्रति एम टी
100 एम टी से ज्यादा	100 एम टी से अधिक होने पर रु. 61360 /- + रु. 824.50 प्रति एम टी	100 एम टी से अधिक होने पर रु. 31250/- + रु. 419.90 प्रति एम टी

टिप्पणी:

- क) प्रभारों की गणना विमान के निकटतम मीट्रिक टन (एम.टी) अर्थात् 1000 कि.ग्रा. के आधार पर की जाएगी।
- ख) सुपरसोनिक विमान के लिए अवतरण प्रभार पर 25% का सरचार्ज लगाया जाएगा।
- ग) सभी प्रकार के विमान/ हेलीकॉप्टर उड़ानों के लिए प्रति एकल उड़ान हेतु रु. 5000 का न्यूनतम शुल्क लगाया जाएगा। इसमें अन्तर्देशीय अवतरण, अंतरराष्ट्रीय अवतरण एवं सामान्य विमानन अवतरण शामिल हैं पर यहीं तक सीमित नहीं है लेकिन यह फ्लाईंग क्लबों द्वारा प्रचालित प्रशिक्षण उड़ानों पर लागू नहीं होगा।
- घ) विमान का वजन अर्थात् अधिकतम टेक ऑफ वजन (एम टी ओ डब्ल्यू) जैसा कि नागर विमानन महानिदेशालय/ डी जी सी ए के साथ नत्थी उड़नयोग्यता प्रमाण पत्र में दर्शाया गया है।
- ङ) जहाँ तक एयरसाइड हवाईअड्डा प्रयोक्ता प्रभारों का संबंध है, भारतीय प्रचालकों द्वारा उड़ान के लिए प्रयुक्त अंतरराष्ट्रीय मार्गों के सभी अन्तर्देशीय लेगों को ऐसी उड़ानों को दिए गए उड़ान संख्या पर ध्यान दिए बिना अन्तर्देशीय उड़ानें माना जाएगा।

2.1.2 हाउसिंग एवं पार्किंग प्रभार

विमान का वजन	पार्किंग प्रभार दर प्रति एम टी प्रति घंटा	हाउसिंग प्रभार दर प्रति एम टी प्रति घंटा
100 एम टी तक	रु. 8.40 प्रति एम टी	रु. 16.70 प्रति एम टी
100 एम टी से अधिक	100 एम टी से अधिक होने पर रु. 840/- + रु. 11.10 प्रति एम टी, प्रति घंटा	100 एम टी से अधिक होने पर रु. 1670/- + रु. 22.20 प्रति एम टी प्रति घंटा

टिप्पणी:

क) पहले दो घंटों के लिए कोई पार्किंग प्रभार नहीं लगाया जाएगा। शुल्क मुक्त पार्किंग अवधि की गणना करते समय टच डाउन समय तथा पार्किंग स्टैंड पर वास्तविक पार्किंग समय के बीच लगने वाले समय की वजह से इसमें 15 मिनट का मानक समय जोड़ा जाएगा। विमान के पार्किंग स्टैंड से टेक ऑफ बिन्दु तक के टैक्सींग समय की वजह से 15 मिनट का एक और मानक समय भी इसमें जोड़ा जाएगा। यह अवधियाँ प्रत्येक विमान पर लागू होंगी। चाहे अवतरण के बाद और टेक-ऑफ से पूर्व विमान के संचलन में जो भी वास्तविक समय लगा हो।

ख) प्रभार- योग्य पार्किंग समय की गणना के लिए किसी एक घंटे का कोई भी अंश अगले घंटे के लिए राउन्डेड ऑफ किया जाएगा।

ग) प्रभारों की गणना अगले एम टी के आधार पर की जाएगी।

घ) प्रत्येक पीरियड पार्किंग के लिए प्रभारों को निकटतम रूप तक राउन्डेड ऑफ किया जाएगा।

ड) कॉन्टैक्ट (contact) स्टैण्ड में निःशुल्क पार्किंग के बाद अगले दो घंटों के लिए सामान्य पार्किंग प्रभार लगाए जाएंगे। इस अवधि के बाद हाउसिंग प्रभार लगाए जाएंगे।

2.2 प्रयोक्ता विकास शुल्क (यू डी एफ)

विमान से यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री के लिए प्रयोक्ता विकास शुल्क निम्नलिखित अनुसार देय होगा :

दर प्रति इम्बार्किंग यात्री	अंतरराष्ट्रीय	अन्तर्देशीय
प्रति इम्बार्किंग यात्री	रु. 667/-	रु. 166/-

टिप्पणी:-

क) विदेशी मुद्रा में टिकटों के जारी किए जाने पर यू डी एफ यू.एस. डॉलर में लगाया जाएगा।

ख) वसूली प्रभार: यदि भुगतान इनवॉयस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर किया गया हो, तो भाविप्रा द्वारा प्रस्थान करने वाले प्रत्येक यात्री के लिए भारत के 5 रु. की दर से वसूली प्रभार का भुगतान किया जाएगा। यदि एयरलाइन 15 दिनों की क्रेडिट अवधि के अंदर यू डी एफ इनवॉयस भाविप्रा को भुगतान नहीं कर पाती है तो अथवा किसी आंशिक भुगतान की स्थिति में वसूली प्रभार का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस वसूली प्रभार पर दावा करने के लिए योग्य होने हेतु एयरलाइनों का भाविप्रा के साथ किसी भी एकाउंट पर अतिदेय (ओवरड्यू) नहीं होना चाहिए।

ग) ट्रांजिट/स्थानांतरण यात्री: किसी यात्री को ट्रांजिट/स्थानांतरण में होना केवल तभी माना जाता है यदि आगे की यात्रा हवाईअड्डे पर आगमन के समय से 24 घंटे के भीतर हो तथा आगे की यात्रा उसी टिकट का भाग हो। यदि दो अलग-अलग टिकट जारी किए गए हैं (एक जाने के लिए और एक आने के लिए) तो उस यात्री को वापिसी यात्रा वाले यात्री में नहीं माना जाता है।

2.3. ईंधन थ्रूपट प्रभार

ईंधन थ्रूपट प्रभार निम्नलिखित अनुसार देय होंगे -

प्रति किलोलीटर ईंधन प्रभार

रु. 1689.93

2.4. यात्री सेवा शुल्क (सुरक्षा)- रु. 130/- प्रस्थान करने वाले प्रति यात्री

क) डॉलर टैरिफ से जारी किए गए टिकटों के संबंध में डॉलर 3.25 (यू एस डॉलर तीन और पच्चीस सेन्ट्स केवल) प्रति यात्री

ख) वसूली प्रभार: यदि बिलों के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाता है तो प्रति यात्री यात्री सेवा शुल्क के 2.5% की दर से वसूली प्रभार देय होगा। यदि प्रचालक क्रेडिट अवधि के अंदर भाविप्रा को यात्री सेवा शुल्क का भुगतान नहीं करता तो और आंशिक भुगतान की स्थिति में वसूली प्रभार का भुगतान नहीं किया जाएगा।

ग) कैजुअल प्रचालक/ गैर-अनुसूचित प्रचालकों को किसी वसूली प्रभार का भुगतान नहीं किया जाएगा।

घ) स्काई मार्शलों से यात्री सेवा शुल्क का भुगतान करने से एयरलाइनों को छूट।

ड) यू.एस. डॉलर को भारतीय रूपए में बदलने के लिए पहले पखवाड़े वाली बिलिंग अवधि हेतु महीने की पहली तारीख की दर तथा दूसरे पखवाड़े वाली बिलिंग अवधि के लिए महीने की 16वीं तारीख की दर को अपनाया जाएगा। यदि बिलों के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाता है तो प्रति यात्री यात्री सेवा शुल्क के 2.5% की दर से वसूली प्रभार देय होगा।

सामान्य शर्त

उपरोक्त सभी प्रभार सेवा कर को छोड़ कर के हैं। विमान प्रचालकों द्वारा उपरोक्त प्रभारों के अतिरिक्त लागू दरों से सेवा कर का भुगतान करना होगा।

3. गुवाहाटी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एल जी बी आई ए)

(दिनांक 18 नवम्बर, 2013 के आदेश सं. 34/2013-14 के माध्यम से ऐरा द्वारा यथा अनुमोदित)

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए विमानपत्तन प्रभार, 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी)

3.1. लैंडिंग, पार्किंग एवं हाउसिंग प्रभार

अंतर्देशीय/ अंतरराष्ट्रीय अवतरण प्रभार - प्रति एकल अवतरण

विमान का वजन	दर प्रति अवतरण (भारतीय रूपए में)
20 एम टी तक	रु. 190.80 प्रति एम टी
20 एम टी से अधिक 50 एम टी तक	3816.00 + 302.10 प्रति एम टी, 20 एम टी से अधिक में

50 एम टी से अधिक 100 एम टी तक	12879.00 + 309.50 प्रति एम टी, 50 एम टी से अधिक में
100 एम टी से ज्यादा	28354.00 + 413.40 प्रति एम टी, 100 एम टी से अधिक में

टिप्पणी:

- (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई आवागमन को प्रोत्साहित करने तथा अंतर क्षेत्रीय आवागमन को बढ़ावा देने के लिए अवतरण प्रभार को (क) घरेलू अनुसूचित प्रचालकों द्वारा प्रचालित किए जा रहे 80 सीटों से कम अधिकतम प्रमाणित क्षमता वाले विमान (ख) दिनांक 9 फरवरी, 2004 के आदेश सं. जी. 17018/7/2001- ए ए आई के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सभी प्रकार के हेलीकॉप्टरों के लिए हटाया जाना जारी रखने का निर्णय लिया गया है ।
- (ii) प्रभारों की गणना विमान के निकटतम मीट्रिक टन (एम.टी) अर्थात् 1000 कि.ग्रा. के आधार पर की जाएगी ।
- (iii) सुपरसोनिक विमान के लिए अवतरण प्रभार पर 25% का सरचार्ज लगाया जाएगा ।
- (iv) सामान्य विमानन विमानों (क्षेत्रीय विमान सेवाओं तथा अनुसूचित घरेलू विमान सेवाओं पर लागू नहीं) तथा विदेशी विमान सेवाओं से प्रत्येक लैंडिंग के लिए 3000 रु. का न्यूनतम प्रभार लिया जाएगा ।
- (v) विमान के वजन से तात्पर्य है अधिकतम टेक ऑफ वजन (एमटीओडब्ल्यू) जैसा कि नागर विमानन महानिदेशालय (डी जी सी ए) के साथ नत्थी उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र में दर्शाया गया है ।

3.2 पार्किंग तथा हाउसिंग प्रभार

विमान का वजन	दरें (भारतीय रूप में)	
	प्रति एम टी प्रति घंटा पार्किंग प्रभार दर	प्रति एम टी प्रति घंटा हाउसिंग प्रभार दर
40 एम टी तक	4.50 प्रति घंटा प्रति एम टी	8.90 प्रति घंटा प्रति एम टी
40 एम टी से अधिक 100 एम टी तक	180.00 + 8.50 प्रति घंटा प्रति एम टी, 40 एम टी से अधिक में	356.00 + 16.50 प्रति घंटा प्रति एम टी, 40 एम टी से अधिक में
100 एम टी से अधिक	690.00 + 11.00 प्रति घंटा प्रति एम टी, 100 एम टी से अधिक में	1346.00 + 21.20 प्रति घंटा प्रति एम टी, 100 एम टी से अधिक में

टिप्पणी:

क) भाविप्रा ने सैद्धान्तिक रूप में निर्णय लिया है कि जिन हवाईअड्डों पर राज्य सरकार ए टी एफ पर 5% की दर तक कर (वैट) लगाती है वहाँ पर सभी घरेलू अनुसूचित प्रचालकों से रात्रि पार्किंग प्रभार नहीं वसूला जाएगा । रात्रि पार्किंग प्रभार (22.00 बजे से 6.00 बजे के मध्य) में उक्त छूट उस दिन से लागू की जाएगी जिस दिन से संबंधित राज्य सरकार (रॉ) द्वारा ए टी एफ पर 5% की दर तक कर (वैट) लगाया जाएगा । यह राहत प्रारम्भ में पांच वर्ष के लिए लागू होगी उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी । संबंधित राज्य सरकार (रॉ) द्वारा ए टी एफ पर कर की दर में ऊर्ध्वमुखी (अपवर्ड) संशोधन होने पर संबंधित राज्य सरकार (रॉ) के न्यायक्षेत्र में आने वाले सभी हवाईअड्डों पर मुफ्त पार्किंग शुल्क की सुविधा भी समाप्त कर दी जाएगी ।

ख) पहले दो घंटों के लिए कोई पार्किंग प्रभार नहीं लगाया जाएगा। शुल्क मुक्त पार्किंग अवधि की गणना करते समय टच डाउन समय तथा पार्किंग स्टैंड पर वास्तविक पार्किंग समय के बीच लगने वाले समय की वजह से इसमें 15 मिनट का मानक समय जोड़ा जाएगा। विमान के पार्किंग स्टैंड से टेक ऑफ बिन्दु तक के टैक्सींग समय की वजह से 15 मिनट का एक और मानक समय भी इसमें जोड़ा जाएगा। यह अवधियाँ प्रत्येक विमान पर लागू होंगी। चाहे अवतरण के बाद और टेक-ऑफ से पूर्व विमान के संचलन में जो भी वास्तविक समय लगा हो।

ग) प्रभार- योग्य पार्किंग समय की गणना के लिए किसी एक घंटे का कोई भी अंश अगले घंटे के लिए राउन्डेड ऑफ किया जाएगा।

घ) प्रभारों की गणना अगले एम टी के आधार पर की जाएगी।

ड) प्रत्येक पीरियड पार्किंग के लिए प्रभारों को निकटतम रूप तक राउन्डेड ऑफ किया जाएगा।

च) कॉन्टैक्ट (contact) स्टैण्ड में निःशुल्क पार्किंग के बाद अगले दो घंटों के लिए सामान्य पार्किंग प्रभार लगाए जाएंगे। इस अवधि के बाद हाउसिंग प्रभार लगाए जाएंगे।

3.3 थूपट प्रभार

प्रति किलोलीटर दर (भारतीय रूप में)
112.10

3.4 प्रयोक्ता विकास शुल्क (यू डी एफ)

दर (भारतीय रूप में)	
अन्तर्देशीय/ अंतरराष्ट्रीय यात्री	313 प्रति इम्बार्किंग यात्री

टिप्पणी:-

क) वसूली प्रभार: यदि भुगतान इनवॉयस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर किया गया हो, तो भाविप्रा द्वारा प्रस्थान करने वाले प्रत्येक यात्री के लिए भारत के 5 रु. की दर से वसूली प्रभार का भुगतान किया जाएगा। यदि एयरलाइन 15 दिनों की क्रेडिट अवधि के अंदर यू डी एफ इनवॉयस भाविप्रा को भुगतान नहीं कर पाती है तो वसूली प्रभार का भुगतान नहीं किया जाएगा।

ख) ट्रांजिट/स्थानांतरण यात्री: किसी यात्री को ट्रांजिट/स्थानांतरण में होना केवल तभी माना जाता है यदि आगे की यात्रा हवाईअड्डे पर आगमन के समय से 24 घंटे के भीतर हो तथा आगे की यात्रा उसी टिकट का भाग हो। यदि दो अलग-अलग टिकट जारी किए गए हैं (एक जाने के लिए और एक आने के लिए) तो ऐसे में यात्री को ट्रांजिट यात्री नहीं माना जाएगा। ट्रांजिट यात्री को वापिसी यात्रा वाले यात्री में नहीं माना जाता है।

3.5 सेवा घंटों का विस्तार (हवाईअड्डा) (वॉच आवर्स)

दर (भारतीय रूप में)

टिप्पणी:

- (i) संघ की किसी सेना, बी एस एफ तथा एन सी सी से संबंधित विमान के अलावा, निगरानी घण्टों के आगे प्रचालन करने वाले सभी प्रचालकों/एजेन्सियों को प्रभार का भुगतान करना होगा ।
- (ii) अवतरण, टेक ऑफ, जैसा भी मामला हो, के समय विमानक्षेत्र, जहां समय बढ़ाने की सुविधा ली हो, वहीं प्रभार देने होंगे ।
- (iii) जहां दो विमान एक ही समय सुविधा का उपयोग कर रहे हों, तो ऐसे में सर्विस घण्टों को बढ़ाने हेतु प्रभार प्रत्येक एयरलाइंस/विमान से अलग-अलग लिए जाएंगे तथा विमानों के बीच प्रभारों की शेयरिंग की अनुमति नहीं होगी ।
- (iv) एक घण्टे की न्यूनतम अवधि हेतु ऊपर निर्दिष्ट दर प्रति घण्टे के अनुसार सर्विस घण्टों (हवाई अड्डा) के विस्तार हेतु अधिरोपित होंगे ।
- (v) घण्टे के प्रभाजन को आगे आधे घण्टे पर पूर्ण किया जाएगा तदनुसार प्रभार लिया जाएगा ।
- (vi) यदि विमान का निगरानी घण्टों के बंद होने के तुरन्त पहले टेक ऑफ होना है वाच निगरानी घण्टों को सामान्य प्रक्रियाओं के अनुसार कम से कम 30 मिनट की अवधि तक बढ़ाया जाना चाहिए इसमें कुछ अतिरिक्त सेवा प्रभार नहीं लगाए जाएंगे । यदि विमान तकनीकी कारणों से वापिस अवतरण करता है, निगरानी घण्टों के आगे यदि समय बढ़ाया जाता है तो प्रभार लगाया नहीं जाएगा । तथापि, ऐसी लैंडिंग के बाद यदि समय बढ़ाना अपेक्षित होगा तो लागू दरों के अनुसार प्रभार लगाया जाएगा ।
- (vii) तकनीकी खराबी के कारण यदि विमान आपातकालीन लैंडिंग हेतु सर्विस घण्टों को बढ़ाने हेतु अनुरोध करता है तो प्रभार नहीं लगेगा । ऐसी लैंडिंग के बाद यदि समय बढ़ाना अपेक्षित होगा तो लागू दरों के अनुसार प्रभार लगेगा ।
- (viii) स्टेशन पर धावनपथ के ब्लाक होने/वीवीआईपी मूवमेंट/मौसम की परिस्थितियों के कारण यदि inescapable विलम्ब के कारण सर्विस घण्टों को बढ़ाने पर कोई प्रभार नहीं लगेगा ।
- (ix) यदि एक प्रचालन भा.वि.प्रा. से सर्विस घण्टों को बढ़ाने का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किसी भी परिस्थितियों में अपने अनुरोध को वापस लेना चाहता है तो वे निर्धारित प्रस्थान अथवा आगमन समय से कम से कम 06 घण्टे पूर्व भा.वि.प्रा. को सूचित करेगा । यदि प्रचालक ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे सर्विस घण्टों को बढ़ाने हेतु 4 घण्टे की अवधि का सर्विस चार्ज जुर्माना स्वरूप देना होगा ।
- (x) उक्त दर्शाए गए सर्विस प्रभार केवल भा.वि.प्रा. द्वारा दी जा रही सेवाओं के लिए हैं ।

- क) डॉलर टैरिफ से जारी किए गए टिकटों के संबंध में डॉलर 3.25 (यू एस डॉलर तीन और पच्चीस सेन्ट्स केवल) प्रति यात्री
- ख) वसूली प्रभार: यदि बिलों के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाता है तो प्रति यात्री यात्री सेवा शुल्क के 2.5% दर से वसूली प्रभार देय होगा । यदि प्रचालक क्रेडिट अवधि के अंदर भाविप्रा को यात्री सेवा शुल्क का भुगतान नहीं करता तो और आंशिक भुगतान की स्थिति में वसूली प्रभार का भुगतान नहीं किया जाएगा ।
- ग) आकस्मिक प्रचालक/ गैर-अनुसूचित प्रचालकों के लिए कोई वसूली प्रभार देय नहीं होगा ।
- घ) स्काई मार्शलों से यात्री सेवा शुल्क का भुगतान करने से एयरलाइनों को छूट ।
- ड) यू.एस. डॉलर को भारतीय रूप में बदलने के लिए पहले पखवाड़े वाली बिलिंग अवधि हेतु महीने की पहली तारीख की दर तथा दूसरे पखवाड़े वाली बिलिंग अवधि के लिए महीने की 16वीं तारीख की दर को अपनाया जाएगा । यदि बिलों के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाता है तो प्रति यात्री यात्री सेवा शुल्क के 2.5% की दर से वसूली प्रभार देय होगा ।

सामान्य शर्त

उपरोक्त सभी प्रभार सेवा कर को छोड़ कर के हैं । विमान प्रचालकों द्वारा उपरोक्त प्रभारों के अतिरिक्त लागू दरों से सेवा कर का भुगतान करना होगा ।

4. त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

4.1 अवतरण प्रभार

प्रति एकल अवतरण हेतु अवतरण प्रभार

विमान का भार	अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों हेतु प्रति अवतरण की दर	अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों के अलावा प्रति अवतरण की दर
100 एम टी तक	प्रति मीट्रिक हेतु रु. 250.50	प्रति मीट्रिक टन रु. 187.90
100 एम टी से अधिक	100 मीट्रिक टन से अधिक प्रति मीट्रिक टन रु. 25,050/- + रु. 336.60	100 मीट्रिक टन से अधिक प्रति मीट्रिक टन रु. 18,790/- + रु. 252.50

नोट :

(1)	21000 किलोग्राम भार तक के छोटे अन्तर्देशीय विमानों हेतु अवतरण प्रभार रु. 113.30/- प्रति हजार किलोग्राम की दर से लगाया जाएगा । इस श्रेणी हेतु कोई न्यूनतम प्रभार नहीं है ।
(2)	निम्न के संबंध में कोई अवतरण प्रभार नहीं लगाया जाएगा :- (क) अंतर्देशीय नियमित प्रचालको द्वारा प्रचलित ऐसे विमान जिनकी अधिकतर प्रमाणित क्षमता 80 सीटों से कम हो । (ख) सभी प्रकार के हेलिकाप्टर
(3)	निकटतम मीट्रिक टन (अर्थात 1000 कि.ग्रा.) के आधार पर प्रभारों की गणना की जाएगी।
(4)	प्रति एकल अवतरण हेतु रु. 1100/- का न्यूनतम शुल्क लगाया जाएगा ।
(5)	सुपरसोनिक विमानों हेतु 25% का अधिभार लगाया जाएगा ।

4.2 प्रति अवतरण हेतु हाऊसिंग तथा पार्किंग प्रभार

कुल प्रभार	प्रति घंटे हेतु हाऊसिंग प्रभार	प्रति घंटे हेतु पार्किंग प्रभार
100 मीट्रिक टन तक	प्रति मीट्रिक टन पर रु. 8.10 प्रति घण्टा	प्रति मीट्रिक टन पर रु. 4.10 प्रति घण्टा
100 मीट्रिक टन से अधिक	100 मीट्रिक टन से अधिक होने पर रु. 810/-+ रु. 10.80 प्रति मीट्रिक टन प्रति घण्टे	100 मीट्रिक टन से अधिक होने पर रु. 410/-+ रु. 5.40 प्रति मीट्रिक टन प्रति घण्टे

4.2.1 2200 घण्टे से 0600 घण्टे के बीच रात्रिकालीन पार्किंग प्रभार मौजूदा पार्किंग प्रभारों के 50% की दर से होगी ।

2200 घण्टे से 0600 घण्टे के बीच रात्रिकालीन पार्किंग प्रभार निम्नवत् होंगे ।

कुल भार	प्रति घण्टे पार्किंग प्रभार की दर
100 मीट्रिक टन तक	रु. 2.10 प्रति घण्टे प्रति मीट्रिक टन
100 मीट्रिक टन से अधिक	100 मीट्रिक टन से अधिक रु. 210/-+ रु. 2.70 प्रति मीट्रिक टन

नोट:

1. पहले दो घण्टे हेतु कोई पार्किंग प्रभार नहीं लगाया जाएगा । निशुल्क: पार्किंग अवधि की गणना करते समय विमान के टच डाऊन समय तथा पार्किंग स्टैंड पर वास्तविक पार्किंग समय में 15 मिनट का मानक समय शामिल किया जाएगा । विमान के पार्किंग स्टैंड से टैक्सिंग समय से टेक ऑफ पाइंट में अन्य 15 मिनट का समय शामिल किया जाएगा । विमान के अवतरण से टेक ऑफ में लगे वास्तविक समय पर विचार न करते हुए यह अवधि प्रत्येक विमान हेतु लागू होगी ।
2. प्रभार योग्य पार्किंग समय की गणना के लिए किसी एक घंटे का कोई भी अंश अगले घंटे के लिए राउन्डेड ऑफ किया जाएगा ।
3. निकटतम मीट्रिक टन के आधार पर प्रभार की गणना की जाएगी ।
4. प्रत्येक पार्किंग अवधि हेतु प्रभारों को निकटतम रूपये तक राउन्डेड ऑफ किया जाएगा ।
5. कांटेक्ट (contact) स्टैण्ड में निःशुल्क पार्किंग के बाद अगले दो घण्टों के लिए सामान्य पार्किंग प्रभार लगाए जाएंगे । इस अवधि के बाद, प्रभार सामान्य पार्किंग प्रभारों से दुगना हो जाएगा ।

4.3 यात्री सेवा शुल्क (1 अप्रैल, 2009 से संशोधित)

(क) सिविल इन्क्लेवों सहित अन्तरराष्ट्रीय/अन्तर्देशीय हवाई अड्डों पर आने वाले प्रति यात्री हेतु रु. 207/-(रूपये दो सौ सात मात्र) की दर से।

(ख) डालर प्रति शुल्क पर जारी टिकटों के संबंध \$ 5.18 (यू एस \$ पाँच तथा अठारह सेंट केवल) प्रति यात्री ।

(ग) वसूली प्रभार: यदि बिल की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाता है तो प्रति

यात्री हेतु का 2.5% वसूली शुल्क देय होगा । आंशिक भुगतान के मामलो तथा प्रचालक द्वारा भाविप्रा को क्रेडिट अवधि के अंदर पी एस एफ न देने की दशा में वसूली प्रभार देय नहीं होगा ।

(घ) कैजुअल प्रचालक/गैर नियमित प्रचालको को संग्रहण प्रभार नहीं दिए जाएंगे ।

(च) स्काई मार्शल के मामलो में एयरलाइंस को पी एस एफ में भुगतान में छूट होगी ।

नोट: यू एस \$ को भारतीय रू. में परिवर्तित करने हेतु पहले पखवाड़े के बिलिंग अवधि हेतु माह के पहले दिन की दर तथा दूसरे पखवाड़े के बिल की अवधि हेतु माह के 16 वें दिन की दर अंगीकार की जाएगी ।

4.4 प्रयोक्ता विकास शुल्क

प्रयोक्ता विकास शुल्क (सांविधिक प्रभारों रहित, यदि हैं)	अंतर्देशीय	अंतरराष्ट्रीय	प्रभावी तिथि
	शून्य	रू0 575/-	01.03.11

नोट: एयरलाइंस को प्रति यात्री (सभी कुछ शामिल) रू0 5/- के फ्लैट रेट की दर से यू डी एफ वसूली की अनुमति है बशर्ते ऋण अवधि के भीतर भाविप्रा को यू डी एफ वसूली का भुगतान किया हो ।

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विकास शुल्क/प्रयोक्ता विकास शुल्क/यात्री सुविधाओं के संग्रह तथा वसूली में छूट हेतु खण्ड -सी देखें ।

4. अन्य प्रमुख हवाई अड्डे

(अहमदाबाद, कालीकट, जयपुर तथा लखनऊ)

(i) अवतरण प्रभार

प्रति एकल अवतरण हेतु अवतरण प्रभार

(क) अंतरराष्ट्रीय उड़ाने

विमान का भार	(राशि रूपये में)
10,000 किग्रा. तक	रु.122.10 प्रति 1,000 किग्रा.
10001 किग्रा. से 20,000 किग्रा.	10,000 कि. ग्रा से अधिक होने पर रु. 1221/- + रु.179.30 प्रति 1,000 कि.ग्रा.
20001 कि.ग्रा. से 50,000 कि.ग्रा.	20,000 कि. ग्रा से अधिक होने पर रु. 3014/- + रु.354.20 प्रति 1,000 कि.ग्रा.
50001 कि.ग्रा. से 100,000 कि.ग्रा.	50,000 कि.ग्रा.. से अधिक होने पर रु. 13640/- + रु.413.60 प्रति 1,000 कि.ग्रा.
100000 कि.ग्रा. से अधिक	100,000 कि.ग्रा.. से अधिक होने पर रु. 34320/- + रु.471.90 प्रति 1,000 कि.ग्रा.

(ख) अंतर्देशीय उड़ाने

विमान का भार	(राशि रूपये में)
10,000 किग्रा. तक	रु.67.10 प्रति 1,000 किग्रा.
10001 किग्रा. से 20,000 किग्रा.	10,000 कि. ग्रा से अधिक होने पर रु. 671/- + रु.117.70 प्रति 1,000 कि.ग्रा.
20,000 कि.ग्रा. से अधिक	20,000 कि.ग्रा.. से अधिक होने पर रु. 1848/- + रु.231/ प्रति 1,000 कि.ग्रा.

नोट :

- (1) 21000 किलोग्राम भार तक के छोटे अन्तर्देशीय विमानों हेतु अवतरण प्रभार रु. 64.90/- प्रति हजार किलोग्राम की दर से लगाया जाएगा । इस श्रेणी हेतु कोई न्यूनतम प्रभार नहीं है ।
- (2) निम्न के संबंध में कोई अवतरण प्रभार नहीं लगाया जाएगा :- (क) अंतर्देशीय नियमित प्रचालको द्वारा प्रचलित ऐसे विमान जिनकी प्रमाणित क्षमता 80 सीटों से कम हो । (ख) सभी प्रकार के हेलिकाप्टर

- (3) उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू तथा कश्मीर, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप (सेना के हवाई अड्डों के अलावा) में सभी हवाई अड्डों पर अवतरण तथा पार्किंग प्रभारों में मौजूदा दरों से हमें 25% तक की कमी की गई है ।
- (4) निकटतम मीट्रिक टन (अर्थात 1000 कि.ग्रा.) के आधार पर प्रभारों की गणना की जाएगी।

(ii) हाऊसिंग प्रभार (अंतरराष्ट्रीय/अंतर्देशीय उड़ाने)

विमान का भार	(राशि रूपये में)
40,000 किग्रा. तक	रु.3.50 प्रति घण्टा प्रति 1,000 किग्रा.
40001 किग्रा. से 10,0000 किग्रा. तक	40,000 कि. ग्रा से अधिक होने पर रु. 140/- + रु.6.80 प्रति घंटा प्रति 1,000 कि.ग्रा.
100000 कि.ग्रा. से अधिक	100000 कि.ग्रा. से अधिक होने पर रु. 548/- + रु.10.30/ प्रति घण्टा प्रति 1,000 कि.ग्रा.

(iii) पार्किंग प्रभार (अंतरराष्ट्रीय/अंतर्देशीय उड़ानें)

विमान का भार	(राशि रूपये में)
40,000 किग्रा. तक	रु.1.80 प्रति घण्टा प्रति 1,000 किग्रा.
40001 किग्रा. से 100000 किग्रा. तक	40,000 कि. ग्रा से अधिक होने पर रु. 72/- + रु.3.40 प्रति 1,000 कि.ग्रा. प्रति घण्टा
100 मीट्रिक टन से अधिक	100000 कि.ग्रा. से अधिक होने पर रु. 276/- + रु.5.20/ प्रति 1000 कि ग्रा. प्रति घण्टा

कोलकाता तथा चेन्नई हवाई अड्डों को छोड़कर सभी हवाई अड्डों पर 2200 घण्टे से 0600 घण्टे तक रात्रिकालीन अवतरण प्रभार मौजूदा पार्किंग प्रभार का 50% होगा ।

2200 घण्टे से 0600 घण्टे के बीच रात्रिकालीन पार्किंग प्रभार निम्नवत् होगी ।

विमान का भार	(राशि रूपये में)
40,000 किग्रा. तक	रु.0.90 प्रति घण्टा प्रति 1,000 किग्रा.
40001 किग्रा. से 100000 किग्रा. तक	40,000 कि. ग्रा से अधिक होने पर रु. 36/- + रु.1.70 प्रति 1,000 कि.ग्रा. प्रति घण्टा
100 मीट्रिक टन से अधिक	100000 कि.ग्रा. से अधिक होने पर रु. 138/- + रु.2.60/ प्रति 1000 कि.ग्रा. प्रति घण्टा

नोट:

- (i) पहले दो घण्टे हेतु कोई पार्किंग प्रभार नहीं लगाया जाएगा । निशुल्क: पार्किंग अवधि की गणना करते समय विमान के टच डाऊन समय तथा वास्तविक पार्किंग समय में 15 मिनट का मानक समय शामिल किया जाएगा । विमान के पार्किंग स्टैंड से टैक्सिंग समय से टेक ऑफ पाइंट में अन्य 15 मिनट का समय शामिल किया जाएगा ।
- (ii) प्रभार योग्य पार्किंग समय की गणना के लिए किसी एक घंटे का कोई भी अंश अगले घंटे के लिए राउन्डेड ऑफ किया जाएगा । प्रत्येक अवधि की पार्किंग हेतु प्रभार निकटतम रूपये तक राउन्डेड ऑफ किया जाएगा ।
- (iii) कार्गो प्रचालन हेतु अवतरण/आर एन एफ प्रभार यात्री विमान प्रचालन के समान होगा ।
- (iv) सभी मामलों में विमान का कुल भार की निकटतम हजार कि.ग्रा. गणना की जाएगी तथा प्रभार को निकटतम रूपये में राउन्डेड ऑफ किया जाएगा ।

अन्य मुख्य हवाई अड्डों हेतु पी एस एफ, यू डी एफ तथा सर्विस घण्टों के विस्तार (हवाई अड्डा/ए टी सी) हेतु कृपया खण्ड सी देखें ।

II गैर-प्रमुख हवाई अड्डे

(i) अवतरण प्रभार

प्रति एकल अवतरण हेतु अवतरण प्रभार

(क) अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

विमान का भार	(राशि रूपये में)
10,000 कि.ग्रा. तक	रु.122.10 प्रति 1,000 कि.ग्रा.
10001 कि.ग्रा. से 20,000 कि.ग्रा.	10,000 कि. ग्रा से अधिक होने पर रु. 1221/- + रु.179.30 प्रति 1,000 कि.ग्रा.
20001 कि.ग्रा. से 50,000 कि.ग्रा.	20,000 कि. ग्रा से अधिक होने पर रु. 3014/- + रु.354.20 प्रति 1,000 कि.ग्रा.
50001 कि.ग्रा. से 100,000 कि.ग्रा.	50,000 कि.ग्रा. से अधिक होने पर रु. 13640/- + रु.413.60 प्रति 1,000 कि.ग्रा.
100000 कि.ग्रा. से अधिक	100,000 कि.ग्रा. से अधिक होने पर रु. 34320/- + रु.471.90 प्रति 1,000 कि.ग्रा.

(ख) अंतर्देशीय उड़ानें

विमान का भार	(राशि रूपये में)
10,000 कि.ग्रा. तक	रु.67.10 प्रति 1,000 कि.ग्रा.
10001 कि.ग्रा. से 20,000 कि.ग्रा.	10,000 कि. ग्रा से अधिक होने पर रु. 671/- + रु.117.70 प्रति 1,000 कि.ग्रा.
20,000 कि.ग्रा. से अधिक	20,000 कि.ग्रा.. से अधिक होने पर रु. 1848/- + रु.231/ प्रति 1,000 कि.ग्रा.

नोट :

- (1) 21000 किलोग्राम भार तक के छोटे अन्तर्देशीय विमानों हेतु अवतरण प्रभार रु. 64.90/- प्रति हजार किलोग्राम की दर से लगाया जाएगा । इस श्रेणी हेतु कोई न्यूनतम प्रभार नहीं है ।
- (2) निम्न के संबंध में कोई अवतरण प्रभार देय नहीं होगा :- (क) अंतर्देशीय नियमित प्रचालको द्वारा प्रचालित ऐसे विमान जिनकी अधिकतम प्रमाणित क्षमता 80 सीटों से कम हो। (ख) सभी प्रकार के हेलिकाप्टर

- (3) उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू तथा कश्मीर, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप (सेना के हवाई अड्डों के अलावा) में सभी हवाई अड्डों पर अवतरण तथा पार्किंग प्रभारों में मौजूदा दरों से 25% तक की कमी की गई है ।
- (4) निकटतम मीट्रिक टन (अर्थात 1000 कि.ग्रा.) के आधार पर प्रभारी की गणना की जाएगी।

(ii) **हाऊसिंग प्रभार** (अंतरराष्ट्रीय/अंतर्देशीय उड़ाने)

विमान का भार	(राशि रूपये में)
40,000 किग्रा. तक	रु.3.50 प्रति घण्टा 1,000 किग्रा.
40001 किग्रा. से 10,0000 किग्रा. तक	40,000 कि. ग्रा से अधिक होने पर रु. 140/- + रु.6.80 प्रति 1,000 कि.ग्रा. प्रति घंटा
100000 कि.ग्रा. से अधिक	100000 कि.ग्रा. से अधिक होने पर रु. 548/- + रु.10.30/ प्रति घण्टा प्रति 1,000 कि.ग्रा.

(iii) **पार्किंग प्रभार** (अंतरराष्ट्रीय/अंतर्देशीय उड़ाने)

विमान का भार	(राशि रूपये में) दर प्रति घण्टा
40,000 किग्रा. तक	रु.1.80 प्रति घण्टा प्रति 1,000 किग्रा.
40001 किग्रा. से 100000 किग्रा. तक	40,000 कि. ग्रा से अधिक होने पर रु. 72/- + रु.3.40 प्रति 1,000 कि.ग्रा. प्रति घण्टा
100 मीट्रिक टन से अधिक	100000 कि.ग्रा.. से अधिक होने पर रु. 276/- + रु.5.20/ प्रति 1000 कि ग्रा. प्रति घण्टा

कोलकाता तथा चेन्नई हवाई अड्डों को छोड़कर सभी हवाई अड्डों पर 2200 घण्टे से 0600 घण्टे तक रात्रिकालीन अवतरण प्रभार मौजूदा पार्किंग प्रभार का 50% होगा ।

2200 घण्टे से 0600 घण्टे के बीच रात्रिकालीन पार्किंग प्रभार निम्नवत् होंगे ।

विमान का भार	पार्किंग प्रभार दर प्रति घण्टा
40,000 किग्रा. तक	रु.0.90 प्रति घण्टा प्रति 1,000 किग्रा.
40001 किग्रा. से 100000 किग्रा. तक	40,000 कि. ग्रा से अधिक होने पर रु. 36/- + रु.1.70 प्रति 1,000 कि.ग्रा. प्रति घण्टा
100 मीट्रिक टन से अधिक	100000 कि.ग्रा. से अधिक होने पर रु. 138/- + रु.2.60/ प्रति 1000 कि ग्रा. प्रति घण्टा

नोट:

- (i) पहले दो घण्टे हेतु कोई पार्किंग प्रभार नहीं लगाया जाएगा । निशुल्क: पार्किंग अवधि की गणना करते समय विमान के टच डाऊन समय तथा वास्तविक पार्किंग समय में 15 मिनट का मानक समय शामिल किया जाएगा । विमान के पार्किंग स्टैंड से टैक्सिंग समय से टेक ऑफ पाइंट में अन्य 15 मिनट का समय शामिल किया जाएगा ।
- (ii) प्रभार योग्य पार्किंग समय की गणना के लिए किसी एक घंटे का कोई भी अंश अगले घंटे के लिए राउन्डेड ऑफ किया जाएगा । प्रत्येक अवधि की पार्किंग हेतु प्रचार निकटतम रूपरे तक राउन्डेड ऑफ किया जाएगा ।
- (iii) कार्गो प्रचालन हेतु अवतरण/आर एन एफ प्रभार यात्री विमान प्रचालन के समान होगा ।
- (iv) सभी मामलों में विमान का कुल भार की निकटतम हजार कि.ग्रा. गणना की जाएगी तथा प्रभार को निकटतम रूपरे में राउन्डेड ऑफ किया जाएगा ।

गैर-प्रमुख हवाई अड्डों हेतु पी एस एफ, यू डी एफ तथा सर्विस घण्टों के विस्तार (हवाई अड्डा/ए टी सी) हेतु कृपया खण्ड - सी देखें ।

III सिविल एन्क्लेव

(i) अवतरण प्रभार

सिविल हवाई अड्डों पर अवतरण प्रभार सेना प्राधिकारियों को देय होगा ।

(ii) पार्किंग प्रभार

(सिविल एन्क्लेवों पर पार्किंग प्रभार निम्न दरों पर लागू होगा। जहाँ विमान भाविप्रा द्वारा निर्मित/स्वामित्व वाले एप्रन/पार्किंग बे पर खड़ा होगा)

(क) गोवा अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों (सिविल एन्क्लेव) पर प्रभार

कुल भार	प्रति घण्टे पार्किंग प्रभार की दर
100 मीट्रिक टन तक	रु. 4.10 प्रति घण्टे प्रति मीट्रिक टन
100 मीट्रिक टन से अधिक	100 मीट्रिक टन से अधिक होने पर रु. 410 + रु. 5.40/- प्रति मीट्रिक टन प्रति घंटा

सभी हवाई अड्डों पर 2200 घण्टे से 0600 घण्टे तक रात्रिकालीन अवतरण प्रभार मौजूदा पार्किंग प्रभार की 50% होगी ।

2200 घण्टे से 0600 घण्टे के बीच रात्रिकालीन पार्किंग प्रभार निम्नवत् होगी ।

कुल भार	प्रति घण्टे पार्किंग प्रभार की दर
100 मीट्रिक टन तक	रु. 2.10 प्रति घण्टे प्रति मीट्रिक टन
100 मीट्रिक टन से अधिक	100 मीट्रिक टन से अधिक होने पर रु. 210 + रु. 2.70/- प्रति मीट्रिक टन

नोट:

1. पहले दो घण्टे हेतु कोई पार्किंग प्रभार नहीं लगाया जाएगा । निःशुल्क पार्किंग अवधि की गणना करते समय विमान के टच डाऊन समय तथा पार्किंग स्टैंड पर वास्तविक पार्किंग समय में 15 मिनट का मानक समय शामिल किया जाएगा । विमान के पार्किंग स्टैंड से टैक्सिंग समय से टेक ऑफ पाइंट में अन्य 15 मिनट का समय शामिल किया जाएगा । विमान के अवतरण से टेक ऑफ में लगे वास्तविक समय पर विचार न करते हुए यह अवधि प्रत्येक विमान हेतु लागू होगी ।

2. प्रभार योग्य पार्किंग समय की गणना के लिए किसी एक घंटे का कोई भी अंश अगले घंटे के लिए राउन्डेड ऑफ किया जाएगा ।
3. निकटतम मीट्रिक टन के आधार पर प्रभार की गणना की जाएगी ।
4. प्रत्येक पार्किंग अवधि हेतु प्रभार की निकटतम रूपये पर राउन्डेड ऑफ किया जाएगा ।
5. कॉटैक्ट स्टैण्ड में निःशुल्क पार्किंग के बाद अगले दो घण्टों के लिए सामान्य पार्किंग प्रभार लगाए जाएंगे । इस अवधि के बाद, प्रभार सामान्य पार्किंग प्रभारों से दुगना हो जाएगा ।

(ख) गोवा अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अलावा सिविल एंक्लेवों पर पार्किंग प्रभार

(iii) पार्किंग प्रभार (अंतरराष्ट्रीय/अंतर्देशीय उड़ानें)

विमान का भार	(राशि रूपये में)
40,000 किग्रा. तक	रू.1.80 प्रति घण्टा प्रति 1,000 किग्रा.
40001 किग्रा. से 100000 किग्रा. तक	40,000 कि. ग्रा से अधिक होने पर रू. 72/- + रू.3.40 प्रति 1,000 कि.ग्रा. प्रति घण्टा
100 मीट्रिक टन से अधिक	100000 कि.ग्रा. से अधिक होने पर रू. 276/- + रू.5.20/ प्रति 1000 कि.ग्रा. प्रति घण्टा

2200 घण्टे से 0600 घण्टे के बीच रात्रिकालीन पार्किंग प्रभार निम्नवत् होंगे।

विमान का भार	(राशि रूपये में)
40,000 किग्रा. तक	रू.0.90 प्रति घण्टा 1,000 किग्रा.
40001 किग्रा. से 100000 किग्रा. तक	40,000 कि. ग्रा से अधिक होने पर रू. 36/- + रू.1.70 प्रति 1,000 कि.ग्रा. प्रति घण्टा
100 मीट्रिक टन से अधिक	100000 कि.ग्रा.. से अधिक होने पर रू. 138/- + रू.2.60/ प्रति कि ग्रा. प्रति घण्टा

नोट:

(i) पहले दो घण्टे हेतु कोई पार्किंग प्रभार नहीं लगाया जाएगा । निःशुल्क पार्किंग अवधि की गणना करते समय विमान के टच डाऊन समय तथा पार्किंग स्टैंड पर वास्तविक पार्किंग समय में 15 मिनट का मानक समय शामिल किया जाएगा । विमान के पार्किंग स्टैंड से टैक्सिंग समय से टेक ऑफ पाइंट में अन्य 15 मिनट का समय शामिल किया जाएगा ।

(ii) प्रभार योग्य पार्किंग समय की गणना के लिए किसी एक घंटे का कोई भी अंश अगले घंटे के लिए राउन्डेड ऑफ किया जाएगा । प्रत्येक अवधि की पार्किंग हेतु प्रभार निकटतम रूपे तक राउन्डेड ऑफ किया जाएगा ।

(iii) कार्गो प्रचालन हेतु अवतरण/आर एन एफ प्रभार यात्री विमान प्रचालन के समान होगा ।

(iv) सभी मामलों में विमान का कुल भार की निकटतम हजार कि.ग्रा. गणना की जाएगी तथा प्रभार को निकटतम रूपये में राउन्डेड ऑफ किया जाएगा ।

गैर-प्रमुख हवाई अड्डों हेतु पी एस एफ, यू डी एफ तथा सर्विस घण्टों के विस्तार (हवाई अड्डा/ए टी सी) हेतु कृपया खण्ड - सी देखें ।

विशेष प्रावधान (हवाई अड्डा सेवाएं)

- नवघोषित भाविप्रा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयरसाइड प्रयोक्ता प्रभार:** गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सिविल एन्क्लेव) पर पार्किंग प्रभार अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों [(खण्ड बी आई) त्रिवेन्द्रम अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे] के संदर्भ में लागू दरों के अनुसार है तथा श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सिविल इन्क्लेव) पर पार्किंग प्रभार गैर- प्रमुख अंतर्देशीय हवाई अड्डे [(संदर्भ खण्ड - बी) (गैर प्रमुख हवाई अड्डे)] पर लागू दरों के अनुसार है ।
- अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के रूप में घोषित हवाई अड्डों के अलावा अन्य हवाई अड्डों से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों हेतु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर लागू वर्तमान दरों से अवतरण तथा पार्किंग प्रभारों का भुगतान प्रचालक करेंगे ।
- भारतीय प्रचालकों के अंतरराष्ट्रीय मार्गों के अंतर्देशीय क्षेत्र को अंतर्देशीय उड़ान माना जाएगा , जहाँ तक एयरसाइड यूजर्स प्रभारों वायुक्षेत्र हवाई अड्डा यूजर का संबंध है यह ऐसी उड़ानों को दिए गए नंबर के अलावा होगा ।
- 1 श्रेणी-। फ्लाईंग क्लब/फ्लाईंग प्रशिक्षण विद्यालयों पर लागू वायुक्षेत्र यूजर प्रभार-** डी जी सी ए सूची के अनुसार श्रेणी-। के अंतर्गत आने वाले फ्लाईंग क्लब/फ्लाईंग प्रशिक्षण संगठन पर सामान्य दरों के 10% की न्यूनतम दर लगाई जाएगी । हवाई अड्डा प्रभार के संबंध में सामान्य दरों का तात्पर्य कि बिना किसी छूट अथवा रियायत के पूर्ण दरों पर प्रभार है । इसलिए श्रेणी-। के तहत फ्लाईंग क्लब/फ्लाईंग प्रशिक्षण संस्थान, अवतरण/हाऊसिंग तथा पार्किंग प्रभारों हेतु 10% की मौजूदा दर से प्रभार देंगे ।
- 2 21000 कि. ग्रा तथा इससे कम पूर्ण अप भार वाले छोटे अंतर्देशीय विमानों पर रियायत/छूट दरों पर अवतरण प्रभार लागू होंगे । अतः श्रेणी-। के फ्लाईंग क्लबों/फ्लाईंग प्रशिक्षण संस्थानों पर लागू 10% न्यूनतम प्रभार की गणना करते समय इन दरों पर विचार नहीं किया जाएगा ।**
- 3 श्रेणी-।। के फ्लाईंग क्लब/फ्लाईंग स्कूल पर लागू एयरसाइड यूजर प्रभार:** श्रेणी-।। के फ्लाईंग क्लब/फ्लाईंग स्कूलों हेतु को विशिष्ट रियायत नहीं है । हालांकि भारत में पंजीकृत छोटे विमान के मामलों में श्रेणी-।। फ्लाईंग क्लब/ फ्लाईंग स्कूल में रियायत उपलब्ध होगी ।
- 4 रात्रिकालीन पार्किंग प्रभार में छूट:** अंतरराष्ट्रीय/अंतर्देशीय हवाई अड्डों (सिविल एन्क्लेव सहित) से अंतर्देशीय मार्गों पर प्रचालन कर रहे अंतर्देशीय नियमित प्रचालकों के विमानों को ऐसे हवाई अड्डों पर रात्रिकालीन पार्किंग प्रभारों पर छूट मिलेगी जहाँ राज्य सरकार ने ए टी एफ 5% (5 प्रतिशत) कर(वैट) लगाया हो। रात्रिकालीन पार्किंग में ऐसी उक्त छूट (2200 घण्टे से 0600 घण्टे तक) संबंधित सरकार द्वारा ए टी एफ पर 5% की दर से कर लागू करने की तिथि से होगी । संबंधित राज्य सरकार द्वारा ए टी एफ के कर की दर के अपवर्ड संशोधन की दशा में , उक्त राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी हवाई अड्डों हेतु निशुल्क रात्रिकालीन पार्किंग की सुविधा वापिस लेनी होगी ।

खण्ड सी: अन्य प्रभार

(i) यात्री सेवा शुल्क: (1 अप्रैल, 2009 से संशोधित)

(क) कोलकाता, चेन्नई तथा गुवाहाटी हवाई अड्डों के अलावा सिविल हवाई अड्डा सहित भाविप्रा के हवाई अड्डों पर आने वाले अंतरराष्ट्रीय/अंतरराज्यीय यात्री को रु. 207/- (दो सौ सात मात्र) शुल्क देना होगा ।

(ख) डॉलर अधिशुल्क द्वारा जारी टिकट के संबंध में \$ 5.18 (यू एस डॉलर पाँच तथा अठारह सेंट्स मात्र) प्रति यात्री को देना होगा ।

(ग) वसूली प्रभार: यदि बिलों की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाता है तो प्रति यात्री हेतु पी एस एफ का 2.5% वसूली प्रभार देय होगा । आंशिक भुगतान के मामलों तथा नियत अवधि में प्रचालक द्वारा भाविप्रा को पी एस एफ न देने की दशा में वसूली प्रभार देय नहीं होगा । एयरलाइंस को यू डी एफ संग्रहण (collection) का पूर्ण भुगतान भा0वि0प्रा0 को करना होगा तथा भा0वि0प्रा0 को यू डी एफ संग्रहण प्रभार हेतु अलग से बीजक (invoice) देना होगा ।

(घ) कैजुअल प्रचालक/गैर नियमित प्रचालको को वसूली प्रभार नहीं दिए जाएंगे ।

(च) स्काई मार्शल के मामले में एयरलाइंस को पी एस एफ में भुगतान में छूट होगी ।

नोट: यू एस \$ को आई एन आर में परिवर्तित करने हेतु पहले पखवाड़े के बिलिंग अवधि हेतु माह के पहले दिन की दर तथा दूसरे पखवाड़े के बिल की अवधि हेतु माह के 16 वें दिन की दर अंगीकार की जाएगी । यदि बिलों की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाता है तो प्रति यात्री हेतु पी एस एफ का 2.5% वसूली प्रभार देय होगा।

(ii) प्रयोगकर्ता विकास शुल्क (यू डी एफ)

नागर विमानन मंत्रालय/ हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) ने निम्नलिखित भाविप्रा हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों हेतु यू डी एफ प्रभारित करने हेतु अनुमोदन दिया है । भाविप्रा के पक्ष में एयरलाइंस यात्रा टिकट के माध्यम से यात्रियों से यू डी एफ का संग्रहण करेगी ।

क्रम सं.	हवाई अड्डा	यू डी एफ रूपये में (सेवाकर तथा वसूली प्रभार सहित)		लागू होने की तिथि
		अंतर्देशीय	अंतरराष्ट्रीय	
1	जयपुर	150	1000	01.01.10
2	अहमदाबाद*	110	415	01.09.10
3	अमृतसर	150	910	15.06.10
4	उदयपुर	150	शून्य	15.06.10
5	त्रिची	150	360	15.06.10
6	विशाखापट्टनम	150	शून्य	15.06.10
7	मंगलौर	150	825	01.09.10
8	वाराणसी	150	975	15.11.10

* यू डी एफ सेवा कर तथा संग्रहण प्रभार रहित है ।

नोट :

1. एयरलाइन्स को 5/- रू0 प्रति यात्री (सभी कुछ शामिल था) के फ्लेट रेट की दर से यू डी एफ संग्रहण की अनुमति दी गई है बशर्ते भा.वि.प्रा. को क्रेडिट अवधि में यू डी एफ का भुगतान किया गया हो ।

2. एयरलाइन्स को यू डी एफ संग्रहण का पूर्ण भुगतान भा.वि.प्रा. को करना होगा तथा भा.वि.प्रा. को यू डी एफ पर संग्रहण (collection) प्रभार हेतु अलग से बीजक (इनवाएस) देना होगा ।

(iii) हवाई अड्डों पर डी एफ/यू डी एफ/पी एस एफ के आरोपण एवं संग्रहण में

छूट:-

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने ए वी 16011/002/2008-भाविप्रा दिनांक 30.11.2011 के आदेश द्वारा भाविप्रा को निर्देश दिए हैं कि निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को यू डी एफ/पी एस एफ के आरोपण एवं संग्रहण (collection) में छूट होगी ।

- (क) बच्चे (2 वर्ष की आयु से कम)
- (ख) राजनयिक पासपोर्ट धारक
- (ग) स्काई मार्शल सहित एयरलाइन्स कर्मी दल तथा विशेष उड़ान हेतु विमान के केवल एयरलाइन कर्मी दल (इसमें डेड हैड कर्मीदल, ग्राउंड कार्मिक शामिल नहीं)
- (घ) भारतीय सशस्त्र बल द्वारा प्रचालित विमान में सरकारी ड्यूटी पर यात्रा कर रहे व्यक्ति।
- (ङ) संयुक्त राष्ट्र शान्ति मिशनों हेतु सरकारी ड्यूटी पर यात्रा कर रहे व्यक्ति ।
- (च) पारगमन/स्थानांतरित होने वाले यात्री (यह छूट 24 घण्टे के भीतर ट्रांजिट करने वाले सभी यात्रियों हेतु है "एक यात्री को ट्रांजिट केवल जब ही माना जाएगा यदि, आगे की यात्रा

24घण्टे के भीतर हो और उसी टिकट पर हो, यदि 2 अलग-अलग टिकटें जारी होंगी तो इसे ट्रांजिट यात्री नहीं माना जाएगा ") ।

(ख) तकनीकी खराबी अथवा मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भारतीय हवाई अड्डों से पुनः प्रस्थान कर रहे यात्री ।

(iv) 01.12.2011 से प्रभावी सर्विस घण्टों (हवाई अड्डे/एटीसी) के विस्तार हेतु प्रभार

1.	सर्विस घण्टों के विस्तार के प्रभार श्रेणियों में विभाजित है (क) उपकरण अवतरण प्रणाली प्रचालन स्टेशन (आई एल एस) (ख) गैर आई एल एस प्रचालन स्टेशन (गैर एल एस स्टेशन)			
निर्धारित वॉच घण्टों के आगे सर्विस घण्टों (हवाई अड्डे/ए टी सी) को बढ़ाने के प्रभार किसी भी प्रकार के विमान के भार हेतु निम्नवत् श्रेणीबद्ध किया गया है ।				
(प्रतिघण्टा प्रभार रूप में)				
	हवाई अड्डा श्रेणी	आई एल एस स्टेशन	गैर-आई एल एस स्टेशन	अभियुक्तियां
(i)	भा0वि0प्रा0 विमानक्षेत्र	12240	2760	
(ii)	सिविल एन्क्लेव	9180	2070	क्रम सं0(i) पर 75% प्रभार
(iii)	हवाई अड्डे जहां भा0वि0प्रा0 द्वारा एटीसी सेवाएं दी जाती हैं ।	3060	690	क्रम सं0(i) पर 25% प्रभार
नोट: उक्त प्रभारों में लागू सेवा कर शामिल नहीं है ।				
2.	संघ की किसी सेना, बी एस एफ तथा एन सी सी से संबंधित विमान के अलावा, निगरानी घण्टों के आगे प्रचालन करने वाले सभी प्रचालकों/एजेन्सियों को प्रभार का भुगतान करना होगा ।			
3.	अवतरण, टेक ऑफ, जैसा भी मामला हो, के समय विमानक्षेत्र, जहां समय बढ़ाने की सुविधा ली हो, वहीं प्रभार देने होंगे । जहां ऋण सुविधा पहले से ले रखी हो (उदाहरण स्वरूप, नियमित प्रचालन, राज्य सरकार के विमान इत्यादि), भुगतान नियमित बिलों के साथ डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकृत होगा ।			
4.	जहां दो विमान उसी समय सुविधा का उपयोग कर रहे हों, सर्विस घण्टों को बढ़ाने हेतु प्रभार प्रत्येक एयरलाइंस/विमान से अलग-अलग लिए जाएंगे तथा यूजरों के बीच किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी की अनुमति नहीं होगी ।			
5.	घण्टे के प्रभाजन को आगे आधे घण्टे पर पूर्ण किया जाएगा तदनुसार प्रभार लिया जाएगा ।			

6.	यदि विमान निगरानी घण्टों के बंद होने के तुरन्त पहले टेक ऑफ होना है, वाच निगरानी घण्टों को सामान्य प्रक्रियाओं के अनुसार कम से कम 30 मिनट की अवधि तक बढ़ाया जाना चाहिए इसमें कुछ अतिरिक्त सेवा प्रभार नहीं लगाए जाएंगे । यदि विमान तकनीकी कारणों से वापिस अवतरण करता है, निगरानी घण्टों के आगे यदि समय बढ़ाया जाता है तो प्रभार लगाया नहीं जाएगा । तथापि, ऐसी लैंडिंग के बाद यदि समय बढ़ाना अपेक्षित होगा तो लागू दरों के अनुसार प्रभार लगाया जाएगा ।
7.	तकनीकी खराबी के कारण यदि विमान आपातकालीन लैंडिंग हेतु सर्विस घण्टों को बढ़ाने हेतु अनुरोध करता है तो प्रभार नहीं लगेगा । ऐसी लैंडिंग के बाद यदि समय बढ़ाना अपेक्षित होगा तो लागू दरों के अनुसार प्रभार लगेगा ।
8.	स्टेशन पर धावनपथ के ब्लाक होने/वीवीआईपी मूवमेंट/मौसम की परिस्थितियों के कारण यदि inescapable विलय के कारण सर्विस घण्टों को बढ़ाने पर कोई प्रभार नहीं लगेगा ।
9.	01.12.2011 से सेवा घण्टों को बढ़ाने हेतु संशोधित दरों के लागू होने की तिथि से एम टी ओ डब्ल्यू 21000 कि०ग्राम तथा इसमें कम भार के छोटे अंतरदेशीय विमानों पर लागू सर्विस घण्टों को बढ़ाने के लिए रियायत टैरिफ खत्म कर दी गई है ।
10.	यदि एक प्रचालन भा.वि.प्रा. से सर्विस घण्टों को बढ़ाने का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किसी भी परिस्थितियों में अपने अनुरोध को वापस लेना चाहता है तो वे निर्धारित प्रस्थान अथवा आगमन समय से कम से कम 06 घण्टे पूर्व भा.वि.प्रा. को सूचित करेगा । यदि प्रचालक ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे सर्विस घण्टों को बढ़ाने हेतु सर्विस चार्ज 4 घण्टे की अवधि जुर्माना स्वरूप देनी होगी ।
11.	एक घण्टे की न्यूनतम अवधि के आधार पर संशोधित दर प्रति घण्टे के अनुसार सर्विस घण्टों (हवाई अड्डा/एटीसी) के प्रभार अधिरोपित होंगे ।
12.	उक्त दर्शाए गए सर्विस प्रभार केवल भा.वि.प्रा. द्वारा दी जा रही सेवाएं हैं ।
13.	सर्विस घण्टे (हवाई अड्डे/एटीसी) के विस्तार हेतु प्रभार केवल ऐसे हवाई अड्डों पर लागू होंगे जहां निर्धारित वाँच घण्टे हैं ।

खण्ड डी - टैक्स

लागू दरों के अनुसार, सभी उक्त प्रभार सेवा दरों के अधीन हैं ।

खण्ड एफ - डिस्क्लेमर

नागर विमानन मंत्रालय/हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण (ऐरा) द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों/आदेशों के आधार पर उक्त ए एन एस तथा चिमसपवत्तप अधिशुल्क संकलित किए गए हैं । किसी विसंगति / संदेह की स्थिति में मूल परिपत्र/आदेश मान्य होगा ।

खण्ड ई - प्रभार संग्रहण एजेंसियां

हवाई अड्डा प्रभारों और उनकी संग्रहण एजेंसियों का विवरण निम्न अनुसार है:-

हवाई अड्डा	ए एन एस सेवाएं			हवाई अड्डा सेवाएं		
	आर एन एफ सी	टी एन एल सी	एल	पी एच	पी एफ एफ	यू डी एफ (यदि लागू हो)
भुगतान किया गया						
(क) अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे:						
1) दिल्ली(डीआईएएल)	एएआई	एएआई	डीआईएएल	डीआईएएल	डीआईएएल	डीआईएएल
2) मुंबई (एमआईएएल)	एएआई	एएआई	एमआईएएल	एमआईएएल	एमआईएएल	एमआईएएल
3) चेन्नई, त्रिवेन्द्रम,कोलकाता	एएआई	एएआई	एएआई	एएआई	एएआई	एएआई
4) बेंगलोर (बीआईएएल)	एएआई	एएआई	बीआईएएल	बीआईएएल	बीआईएएल	बीआईएएल
5) हैदराबाद (एचआईएएल)	एएआई	एएआई	एचआईएएल	एचआईएएल	एचआईएएल	एचआईएएल
6) गोवा (सिविल एंक्लेव)	एएआई	एएआई	रक्षा	एएआई *	एएआई	एएआई
7) कोचीन अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लि0 (सीआईएएल)	एएआई	एएआई	सीआईएएल	सीआईएएल	सीआईएएल	सीआईएएल
8) नागपुर(एमआईपीएल)	एएआई	-	एमआईपीएल	एमआईपीएल	एमआईपीएल	एमआईपीएल
(ख) अन्तर्देशीय हवाई अड्डे :	एएआई	-	एएआई	एएआई	एएआई	एएआई
(ग) सिविल एंक्लेव	एएआई	एएआई	रक्षा	एएआई *	एएआई	एएआई

*केवल पार्किंग प्रभार ।

नोट:

16 अगस्त, 2014 के 0000 घण्टों से भारत में नियमित विदेशी एयरलाइनों के संबंध में हवाई अड्डा प्रभार तथा विमान दिक्कालन प्रभारों की इनवायसिंग तथा संग्रहण हेतु भा0वि0प्रा0 ने आई ए टी ए के साथ करार करके उन्हें प्राधिकृत किया है । अतः अब से हवाई अड्डा प्रभार की इनवायसिंग तथा संग्रहण आई ए टी ए द्वारा की जाएगी।

लेजन्ड : (संकेत वाक्य)

एएआई	-	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
सीआईएएल	-	कोचीन अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लि0
डीआईएएल	-	दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लि0
बीआईएएल	-	बेंगलोर अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लि0
एचआईएएल	-	हैदराबाद अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लि0
एमआईपीएल	-	मिहान इंडिया प्रा0 लि0
आरएनएफसी	-	रूट दिक्कालन सुविधा प्रभार
एल	-	अवतरण प्रभार
पी एच	-	पार्किंग और हाउसिंग प्रभार
टीएनएलसी	-	टर्मिनल दिक्कालन और अवतरण प्रभार

